

## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 06/2022

दायर दिनांक 03.01.2022

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. शिवबक्स पुत्र भागुराम जाति गुर्जर निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. केशाराम पुत्र गणपतराम 2. नेमाराम पुत्र गणपतराम 3. पप्पुराम पुत्र गणपतराम 4. मांगीलाल पुत्र हनुमानराम 5. आशाराम पुत्र हनुमानराम जातिगण गुर्जर निवासीगण रेल्वे स्टेशन, डीडवाना जिला नागौर राज0 6. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।
2. श्री समदर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 05।

--: निर्णय :-

दिनांक 11.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 05 का खेत वाकै सरहद डीडवाना में खेत पुराने खसरा सं0 372 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा मंगतु पुत्र जेठा गुर्जर निवासी डीडवाना के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है। जिसके नये खसरा सं0 655 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा वाकै सरहद मण्डाबासनी हैं जो कि स्व0 भागुराम पुत्र मानाराम गुर्जर ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाण नामा के खरीद कर ली।

यह है कि उक्त खेत की दो रजिस्ट्रीया हुई, जिसमें एक रजिस्ट्री दिनांक 22.06.1967 को 15 बीघा की हुई एवम् दुसरी रजिस्ट्री दिनांक 03.09.1977 को 10 बीघा 03 बिस्वा की हुई।

यह है कि सहवन से उक्त खसरा सं0 25 बीघा 03 बिस्वा के सीन पर गलती से 16 बीघा 08 बिस्वा ही राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रह गया, जिसके संबन्ध में न्यायालय में वाद पेश किया तो न्यायालय ने उक्त रकबा बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया।

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा दोनों रजिस्टर्ड बैचाणों का नामान्तरण सहवन से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती के कारण दर्ज नहीं हो सका, जिस कारण से वादी ने एक वाद संख्या 125/11 पेश किया, जिसमें वादी को 15 बीघा रजिस्ट्री के आधार पर खातेदारी दर्ज करने का निर्णय पारित कर दिया, उक्त निर्णय के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में 15 बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज हो गई।

यह है कि वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज खसरा सं0 655 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा में से 15 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम 1/3 व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के 1/3 व प्रतिवादी सं0 4 व 5 के 1/3 दर्ज हो गई, परन्तु शेष 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं हो पाई।

यह है कि वादी उक्त भूमि का खरीद सुदा स्वामी है। रजिस्ट्री नकल संलग्न है। उक्त 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 05 के हक अधिकार की है वर्तमान में नकल खतौनी लेने पर उक्त खातेदारी नहीं होने की जानकारी हुई, जिसे घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया है।



सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)



प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-


यह है कि खेत खसरा सं० 655 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा में पूर्व में दर्ज वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 05 के नाम 15 बीघा भूमि की खातेदारी के बाद शेष बची 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि में वादी का नाम 1/3 भाग, प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के नाम 1/3 भाग व प्रतिवादी सं० 4 ता 5 के नाम 1/3 भाग राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर खातेदार घोषित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 01 ता 05 का राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 06 को जरिये समन तलब किया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मण खेत खसरा सं० 655 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा में पूर्व में दर्ज वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 05 के नाम 15 बीघा भूमि की खातेदारी के बाद शेष बची 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि में वादी का नाम 1/3 भाग, प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के नाम 1/3 भाग व प्रतिवादी सं० 4 ता 5 के नाम 1/3 भाग राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नामौर)  
सहायक कलक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नामौर)  
सहायक कलक्टर

डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 06/2022

दायर दिनांक 03.01.2022


वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. शिवबक्स पुत्र भागुराम जाति गुर्जर निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. केशाराम पुत्र गणपतराम 2. नेमाराम पुत्र गणपतराम 3. पप्पुराम पुत्र गणपतराम 4. मांगीलाल पुत्र हनुमानराम 5. आशाराम पुत्र हनुमानराम जातिगण गुर्जर निवासीगण रेल्वे स्टेशन, डीडवाना जिला नागौर राज0 6. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 11.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी व श्री समदर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 05 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मण खेत खसरा सं0 655 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा में पूर्व में दर्ज वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 05 के नाम 15 बीघा भूमि की खातेदारी के बाद शेष बची 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि में वादी का नाम 1/3 भाग, प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम 1/3 भाग व प्रतिवादी सं0 4 ता 5 के नाम 1/3 भाग राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।  
बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
(नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
(नागौर)